

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 2939-2980

दिनांक: 07-06-13

आदेश संख्या: 99 /2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम स.ले.अ. (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग	नया पदस्थापन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	बनवारी लाल	संयुक्त निदेशक, स्था0नि0अंके0 विभाग क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम जयपुर	उपकोष फतेहपुर (सीकर)	रिक्त पद पर
2.	श्याम सुन्दर शर्मा	खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिव (बाडमेर)	उपकोष शिव (बाडमेर)	पदोन्नति/ रिक्त पद पर
3.	ओमप्रकाश माली	निदेशक, राज. राज्य अभिलेखागार विभाग, बीकानेर	उपकोष नोखा (बीकानेर)	रिक्त पद पर
4.	ज्योतिसागर शर्मा	अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, अलवर	उपकोष नगर (भरतपुर)	रिक्त पद पर
5.	रामरतन पारासर	अधिशोषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 केकडी (अजमेर)	उपकोष भिनाय (अजमेर)	रिक्त पद पर
6.	प्रहलादराय हेडा	उपकोषाधिकारी डूंगला (चित्तौडगढ़) (स्थानान्तरणाधीन)	उपकोष कपासन (चित्तौडगढ़)	श्री राजोरा के स्थान पर
7.	नारायण सिंह राजोरा	उपकोषाधिकारी कपासन (चित्तौडगढ़) (स्थानान्तरणाधीन)	उपकोष डूंगला (चित्तौडगढ़)	श्री हेडा के स्थान पर

क्रम संख्या 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है। अतः इन्हें योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा।

विभागीय आदेश संख्या 51/2013-14 दिनांक 09.05.13 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार बसल का उपकोष भिनाय (अजमेर) एवं श्री बसंत कुमार तिवाड़ी का उपकोष शिव (बाडमेर) में किया गया स्थानान्तरण/ पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/ 2939-2980

दिनांक: 07-06-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपशासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त पदस्थापन/ स्थानान्तरण "प्रशासन गांवों के संग अभियान" के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यों के निष्पादन की तात्कालिक आवश्यकता एवं कोष कार्यालयों को सुदृढ़ करने की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुये किये गये हैं। अतः सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों को 3 दिवस में नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करें अन्यथा स्थिति में आगामी माह का वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।

3. समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि "प्रशासन गांवों के संग अभियान" के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता अनुभव करतें हैं, तो अभियान की अवधि में उपर्युक्त सीमित कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से जिले में स्थिति किसी भी कार्यालय से कनिष्ठ लेखाकार/ लेखाकार/ सहायक लेखाधिकारी को अपने कार्य के साथ इन कार्यों के लिए अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के आदेशों की वित्त विभाग से कार्योत्तर अनुमोदन के लिए पूर्णोचित्य के साथ प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करावें।
4. समस्त कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त सहायक लेखाधिकारियों की नवपदस्थापित कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करें एवं अन्यथा स्थिति में उनका मई माह का वेतन रोक दिया जावे।
5. श्री सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि 3 दिवस में वर्तमान पदस्थापित कार्यालय से कार्यमुक्त होकर/ कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वतः कार्यभार छोड़कर नवपदस्थापित कार्यालय में उपस्थिति देकर फैंक्स द्वारा सूचित करें अन्यथा आपके विरुद्ध आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी एवं मई माह का वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जावेगी।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/ गार्ड फाईल।


निदेशक